

निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1941 (श०)

(सं० पटना ९२०) पटना, सोमवार, ५ अगस्त २०१९

बिहार विधान—सभा सचिवालय

अधिसूचना

25 जुलाई 2019

सं० वि०स०वि०-१५/२०१९-२३६७/वि०स०।—‘बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, २०१९’, जो बिहार विधान सभा में दिनांक 25 जुलाई, 2019 को पुरस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-११६ के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव ।

[विंशती-१४ / 2019]

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019

बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावना।—

चूँकि “बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014” की धारा-13 (1) के अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में, आयोग के सचिव को राज्य सरकार के विभागाध्यक्षों को प्रदत्त शक्तियों, के समकक्ष शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति दी गयी है;

और चूँकि “बिहार तकनीकी सेवा आयोग नियमावली, 2015” के नियम-10(1) में आयोग की वित्तीय शक्तियाँ आयोग के अध्यक्ष तथा आयोग में निहित की गयी हैं;

और चूँकि उक्त नियमावली के नियम-10(1) में आयोग के सचिव के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है, अतः अधिनियम एवं नियमावली में विहित उक्त प्रावधानों में विरोधाभास की स्थिति है;

और चूँकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के निर्बाध संचालन के लिए आयोग के प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का उचित निर्धारण समीचीन है और इसके लिए उक्त अधिनियम में संशोधन अपेक्षित है;

इसलिए, अब भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—

- (i) यह अधिनियम “बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2019” कहा जा सकेगा।
- (ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 13, 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-13 (1) में संशोधन।—

उक्त अधिनियम, 2014 की धारा-13 की उपधारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:—

- “(1) कार्य संचालन हेतु, आयोग की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ वहीं होंगी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा उपबंधित की गई हों।”

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव।

उद्देश्य एवं हेतु

चूँकि “बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014” की धारा-13 की उपधारा-(1) में प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में, आयोग के सचिव को राज्य सरकार के विभागाध्यक्षों को प्रदत्त शक्तियों, के समकक्ष शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की गयी है और उक्त अधिनियम की धारा-14(1) के तहत गठित “बिहार तकनीकी सेवा आयोग नियमावली, 2015” के नियम-10(1) में आयोग की वित्तीय-शक्तियाँ आयोग एवं आयोग के अध्यक्ष में निहित की गयी हैं, अतः उक्त अधिनियम एवं नियमावली में प्रावधानित वित्तीय-शक्तियों में स्पष्टतः अंतर है। उक्त अधिनियम एवं नियमावली में प्रावधानित वित्तीय-शक्तियों में इस अंतर को दूर करने के लिए उक्त अधिनियम एवं नियमावली के वित्तीय-प्रावधानों को संशोधित किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए उक्त अधिनियम, 2014 को संशोधित किया जाना समीचीन है। यही इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(नीतीश कुमार)
भार-साधक-सदस्य।

पटना
दिनांक 25-07-2019

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान-सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 920-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>